राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर
अनौपचारिक टिप्पणी

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए परिवर्तित आय—व्ययक अनुमान (Modified Budget Estimate) प्रस्तुत करने के संबंध में।

संन्दर्भः— वित्त विभाग का परिपत्र कमांक F6(1)FD/Exp-1/2023/Part jaipur dated 29 March,2024 एवं विभाग के अनौ0 टिप्पणी कमांक 782 दिनांक 28.02.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में वित्तीय वर्ष 2024—25 के परिवर्तित बजट (Modified Budget) के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने है, जिसके लिये निम्नाकित बिन्दुवार प्रस्ताव लेखानुभाग को दिनांक 15.03.2024 तक भिजवाये जाने के लिए आपको लिखा गया था किन्तु वांछित प्रस्ताव लेखानुभाग को आदिनांक तक अप्राप्त है, जिसके संबंध में निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15.04.2024 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करे :—

1. राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) वर्ष 2024—25 राजस्थान विधानसभा में दिनांक 08.02.2024 को प्रस्तुत किया गया था। राज्य विधानसभा द्वारा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (सं.2) विधेयक, 2024 पारित कर दिया गया है। राज्य विधानसभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के प्रथम 4 माह, अर्थात 31 जुलाई 2024 तक के व्यय के लिए लेखानुदान (Vote on Account) अनुमत किया गया है। राज्य सरकार का परिवर्तित बजट (Modified Budget) दिनांक 31 जुलाई 2024 से पूर्व राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर पारित करवाया जाना अपेक्षित है।
2. यह उल्लेखनीय है कि राज्य का बजट विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात कार्य विशेष के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग को अतिरिक्त राशि अनुपूरक अनुदान की मागों (Supplementary Grants) के माध्यम से आकस्मिकता निधि (Contingency fund) से अग्रिम स्वीकृत कर ही उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः वित्तीय अनुशासन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2024—25 में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं कि तात्कालिक आवश्यकता/अपरिहार्य परिस्थति उपस्थित नहीं हो एवं आगामी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रावधान (Additional Authorization) अनुमत किए जाने की आवश्यकता नहीं पडें, इस हेतु परिवर्तित बजट 2024—25 में तदानुसार आवश्कतानुसार बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे उनके नियंत्रित मॉग (Demand) का एक बार पुनः गहन परीक्षण कर लें एवं अपने से संबंधित मॉग(Demand) निम्न आदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेः—

I. परिवर्तित अनुमान (Modified Budget):— वित्तीय वर्ष 2024—25 के बजट अनुमान, जो राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किये जा चुके है, के सन्दर्भ में सभी योजनाओं/लेखा शीर्षो के अंतर्गत विभागीय आवश्यकताओं का गहनता एवं सूक्ष्मता से आकलन कर यह सुनिश्चित कर लेवें कि बजट अनुमानों में प्रस्तावित प्रावधान विभाग की पूर्ण वर्ष की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। यदि किसी योजना/लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि अथवा प्रावधित राशि से कम राशि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो तदानुसार संबंधित योजना/लेखा शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त राशि कम करने हेतु प्रस्ताव मय विस्तृत औचित्य के दिनांक 15 अप्रेल 2024 तक लेखानुभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

II. **"संकल्प पत्र"** पांच वर्ष के लिये है एवं मंत्रिमण्डल द्वारा राजकीय दस्तावेज का दर्जा दिया गया है। विभागों से अपेक्षा है कि संकल्प पत्र में उल्लेखित योजना/कार्यक्रमों जिनको वर्ष 2024—25 में क्रियान्वित किया जाना है, को सक्षम स्तर से नीति निर्धारण कर आवश्यकतानुसार वित्त(व्यय) विभाग से चर्चा कर समुचित बजट प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

RajKaj Ref
6472831

III. **राजस्व एव पूंजीगत परिव्यय के परिवर्तित अनुमानः—** वर्तमान में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु भी प्रावधानों का समुचित परीक्षण कर सम्बन्धित/नवीन योजना/बजट शीर्ष में आवश्यकतानुसार ही बजट प्रावधान प्रस्तावित किया जावे।

IV. **नवीन योजनाए/कार्यक्रमः–** आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित नवीन योजनाओं/कार्यक्रमों की क्रियान्वित करने के लिए विभागीय प्रस्ताव मय योजना का प्रारूप, महत्वपूर्ण घटक, लाभार्थी, वित्तीय भार क्रियान्वयन के चरण आदि का विवरण वर्ष 2024–25 हेतु अनुमत संसाधन सीमा के भीतर दिनांक 15 अप्रेल 2024 तक लेखानुभाग को उपलब्ध करवाया जाना है।

V. **केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में प्रावधानः–** भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध होने वाली संभावित निधियों (Tentative Allocation) की जानकारी के साथ प्रस्ताव दिनांक 15 अप्रेल 2024 तक लेखानुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी अनुभाग द्वारा आवश्यक बजट प्रावधान कराने की कार्यवाही समय पर नहीं की जाएगी तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान के अभाव में राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में संबंधित योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

VI. **राजस्व प्राप्ति के परिवर्तित अनुमानः–** बजट 2024–25 में कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभागों द्वारा समीक्षा की जा कर यदि इनमें वृद्धि की सम्भावना हो तो प्रस्तावित वृद्धि के कारण सहित वित्त (आय–व्ययक) विभाग को अवगत कराया जाए। विभागीय प्रस्ताव के साथ 15 अप्रेल 2024 की स्थिति में **बकाया राशियां तथा इनके विरूद्ध वर्ष 2024–25 में वसूली योग्य समझी जाने वाली राशि का विवरण उपलब्ध कराया जाएं।**

VII. **केवल नवीन योजनाओं/नवीन बजट शीर्षो** में आवश्यतानुसार जेण्डर बजट, चाइल्ड बजट तथा कृषि बजट हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रावधान के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।

परिवर्तित बजट 2024–25 के लिये संशोधित बी.एफ.सी (प्रतिबद्ध एवं योजना एक साथ) एवं राजस्व प्राप्तियां के लिए 7 मई 2024 को आयोजित की जायेगी, जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा बीएफसी बैठक नोटिस दिनांक 29.03.2024 द्वारा से कार्यक्रम जारी किया गया है। परिवर्तित बी.एफ.सी. (Modified B.F.C.) की बैठक हेतु विभागीय प्रस्ताव मय औचित्य पूर्ण टिप्पणी सहित दिनांक 15 अप्रेल 2024 तक लेखानुभाग बजट को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, उसके पश्चात् प्रेषित प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

निदेशक(जन–स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी) मुख्यालय।
2. प्रबन्धक निदेशक (आरएमएससीएल),राजस्थान,जयपुर।
3. निदेशक (वित्त) NHM।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एनएचएम, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी MNNRY (दवा),मुख्यालय।
8. नोडल अधिकारी MNNRY (जांच),मुख्यालय।
9. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
10. नोडल अधिकारी (निरोगी राजस्थान/जनता क्लिनिक), मुख्यालय।
11. नोडल अधिकारी (पीपीपी मोड) मुख्यालय।
12. नोडल अधिकारी (अन्धता) मुख्यालय।
13. नोडल अधिकारी(स्वाईनफ्लू) मुख्यालय।
14. नोडल अधिकारी (आदर्श पीएचसी/सीएचसी), मुख्यालय।
15. नोडल अधिकारी (बी.एम.डब्लू.), मुख्यालय।
16. प्रभारी अधिकारी (पूल) मुख्यालयं।
17. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

RajKaj Ref
6472831

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

क्रमांक :– एफ.4( )लेखा/बजट/2022–23/22-40 दिनांक 05/4/24

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :03-04-2024 05:20:30

D:\Room 128\2020-21\MS Word work room 128/U.O NOTE 2023-24